(भारत के राजपत्र के भाग I, खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

संख्या 1-1/2013- ईसीसीई

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 26 फरवरी, 2014

संकल्प

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की प्रणाली तैयार करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (ईसीसीई) नीति के तहत राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय अवधारणा तथा रणनीति तैयार करेगी और व्यापक ईसीसीई तंत्र स्थापित करके भारत में ईसीसीई की नींव को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करेगी। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी, जो प्रशिक्षण पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों की पद्धतियां उपलब्ध कराएगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

प्रारंभ में यह एक सलाहकार तथा निरीक्षण निकाय होगा जो धीरे-धीरे ईसीसीई के क्षेत्र में व्यवस्थित सुधारों के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय बन जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), ईसीसीई परिषद के लिए जानकारी जुटाएगा तथा शुरू में स्थान और संभार तंत्र की अपेक्षित सहायता के साथ इसकी मदद करेगा। इसी प्रकार, निपसिड के क्षेत्रीय केंद्रों में ईसीसीई से संबद्ध कार्यक्रम प्रणाली, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) तथा विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारियों के माध्यम से क्षेत्रीय इसीसीई परिषदों की स्थापना की जा सकती है। प्रणाली में तालमेल लाने के लिए राज्य ईसीसीई परिषदों को गठित करने के लिए भी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. उद्देश्य

राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु-वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए अवधारणा तथा प्रथा

बनाना है। इसे एक व्यापक ईसीसीई प्रणाली स्थापित करके तथा समेकित ढांचा विकसित करके प्राप्त किया जाएगा जो बहु-मॉडल तथा बहु-घटक उपायों, दीर्घकालिक डाटा संकलन और आयोजना, तथा अधिक कारगर अंतर-क्षेत्रक सेवा प्रदायगी की पद्धतियों और प्लेटफार्मों को सुगम बनाते हुए तथा उनकी सहायता करते हुए भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने में योगदान देगा।

परिषद ईसीसीई एवं संबंधित नीतियों को बढ़ावा देगी तथा पेशेवरों एवं देखभालकर्ताओं सहित परिवारों, समुदायों तथा पूरे समाज में साक्ष्य आधारित प्रथाओं को आगे बढ़ाएगी। यह विनियामक तंत्र भी निर्धारित करेगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पद्धति के मानदंडों तथा मानकों और इससे संबंधित मामलों के लिए मानदंडों एवं मानकों के उपयुक्त अनुपालन का सुनिश्चय करेगी।

3. अवधारणा

यह स्वीकार करते हुए कि बाल विकास सतत एवं संचयी प्रक्रिया है जो जीवन चक्र के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, व्यापक बाल विकास की दिशा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा साक्ष्य आधारित संकल्पना और प्रथाओं को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना।

4. लक्ष्य

- उत्तरदायी पणधारियों में ईसीसीई के परिणामों के लिए समान जिम्मेदारी को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता का सुनिश्चय करना, साक्ष्य आधारित साधन, संसाधन, प्रक्रियाएं, पद्धतियां तथा जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराना।
- ईसीसीई के सभी पहलुओं में सुधार के लिए प्रणालियां एवं नेटवर्क विकसित करना, सहायता देना एवं स्थापित करना।
- सतत गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता के साथ परिणामों तथा संकेतकों को विनियमित करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।

5. परिणाम

- सर्वांगीण, समेकित तथा ईष्टतम बाल विकास प्राप्त करना और विकास में विलंब पर रोक लगाना।
- गुणात्मक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा सेवाओं की व्यापक तथा स्थाई प्रणालियां।

- ईसीसीई क्षेत्र के बारे में सार्वजनिक जागरूकता तथा पेशेवराना अंदाज में सुधार।

6. अधिदेश

1. ईसीसीई के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिए नीतियां, कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करना।
2. ईसीसीई में व्यवस्थित सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ईसीसीई की जानकारी का विकास करना, प्रसार करना और उपयोग करना।
3. नई रणनीतियों तथा विकल्पों की खोज करना तथा ईसीसीई में नवाचारों को व्यापक बनाने और उन्हें कायम रखने के तरीकों का पता लगाना।

7. परिषद के कार्य

परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो उसे ईसीसीई के मानकों के निर्धारण और उन्हें कायम रखने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की नीतियों, रूपरेखाओं तथा अन्य प्रावधानों का योजनाबद्ध और समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हों तथा राष्ट्रीय ईसीसीई नोति के अन्तर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

(क) नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के संबंध में सरकार की उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में सरकार को रणनीति संबंधी निदेश तथा परामर्श देना।

(ख) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के लिए समग्र आयोजना का नेतृत्व करना।

(ग) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी ईसीसीई गतिविधियों का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व करना तथा सुनिश्चित करना कि वे अच्छी तरह नियोजित, कार्यान्वित एवं मूल्यांकित हों।

(घ) ईसीसीई सेवा प्रदायगी में साम्यपूर्ण एवं तर्कसंगत विधियां लाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।

(ङ) सभी छोटे बच्चों के इष्टतम ईसीसीई सेवाएं सुनिश्चित करना।

(च) देश में ईसीसीई प्रावधानों तथा उनकी सुलभता और उपलब्धता का समन्वय करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।

(छ) परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशानिर्देशों एवं मानकों के कार्यान्वयन की जांच करना और आवधिक आधार पर समीक्षा करना तथा संस्थाओं को उपयुक्त ढंग से सलाह देना।

(ज) ऐसी प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जो ईसीसीई के लिए जोखिम कारकों को घटाएं तथा ईसीसीई के लिए संरक्षी कारकों/उपायों को बढ़ावा दें।

(झ) नए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए, और भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, स्टाफिंग प्रणाली (पैटर्न) तथा स्टाफ अर्हता के लिए ईसीसीई संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(ञ) ईसीसीई संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त निष्पादन प्रणाली, मानदंड एवं तंत्र विकसित करना।

(ट) विभिन्न स्तरों पर ईसीसीई पेशेवर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना।

(ठ) ईसीसीई कार्यक्रमों द्वारा प्रयुक्त खेल उपकरण, खेल सामग्री, खेल-स्थान, फर्नीचर, पुस्तकों तथा बाल साहित्य आदि के लिए मानदंड तथा मानक निर्धारित करना।

(ड) ईसीसीई प्रावधानों के व्यावसायीकरण तथा बच्चों के विकास की दृष्टि के अनुपयुक्त शिक्षा को रोकने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाना।

(ढ) शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर सलाह देना।

(ण) प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यावसायिकों के लिए कारगर कोचिंग तथा समकक्ष सहायता उपलब्ध कराने लिए प्रणालियां स्थापित करना।

(त) पूरे देश में ईसीसीई के लिए जीवंत, गतिशील अनुसंधान नेटवर्क तथा सूचना की हिस्सेदारी के लिए सुगम्य ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्म विकसित करना।

(थ) ईसीसीई से संबंधित बृहत्तर क्षेत्र में ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त हों या केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए हों, या संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सहयोग से हों।

8. परिषद की संरचना

इस परिषद में सभी संबद्ध विभागों/मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों, सभ्य समाज के संगठनों, व्यावसायिकों, पेशवरों, शिक्षाविदों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं आदि का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व होगा।

सामान्य परिषद

1.	मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सदस्य, डब्ल्यूसीडी, योजना आयोग	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	(कार्यपालक) उपाध्यक्ष
4.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	सदस्य
5.	सचिव, मानव विकास संसाधन मंत्रालय	सदस्य

6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (ईसीसीई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव
13.	संयुक्त सचिव (आईसीडीएस, पोषण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
14.	वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
15.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईसीसीई परिषदों के पाँच (5) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे	सदस्य
16.	गृह विज्ञान कॉलेजों के मानव संसाधन विकास विभागों के दस (10) संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा में ज्ञात रूचि एवं योगदान वाले ईसीसीई विशेषज्ञ जिन्हें भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा	सदस्य
17.	प्रत्येक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर पूर्व) से एक के हिसाब से ईसीसीई के स्वतंत्र प्रभार वाले डब्ल्यूसीडी मंत्रालय/विभाग से राज्यों के पांच (5) प्रतिनिधि, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे	सदस्य

सदस्य सचिव समिति के अध्यक्ष/ (कार्यपालक) उपाध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। परिषद के निर्णय के अनुसार और/या समय-समय पर सरकार के निदेश के अनुसार बैठकें होंगी।

कार्यकारिणी समिति

1.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार, डब्ल्यूसीडी, योजना आयोग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (ईसीसीई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य संयोजक
4.	संयुक्त सचिव (आईसीडीएस, पोषण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल	सदस्य

	विकास मंत्रालय	
6.	संयुक्त सचिव, मानव विकास संसाधन मंत्रालय (प्रभारी, प्रारंभिक शिक्षा, एसएसए)	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	प्रत्येक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर पूर्व) से एक के हिसाब से 5 राज्यों से डब्ल्यूसीडी और/या ईसीसीई के सचिव, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे	सदस्य
10.	क्षेत्रीय समितियों, विशेषज्ञों एवं पेशेवर निकायों के छह (6) प्रतिनिधि	सदस्य
11	निदेशक, निपसिड	सदस्य
12	निदेशक, एनसीईआरटी	सदस्य

अध्यक्ष की अनुमति से विशेषज्ञों/विकास साझेदारों को सहयोजित एवं आमंत्रित किया जा सकता है।

9. कार्यकाल

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
पदेन सदस्यों से भिन्न आकस्मिक रिक्तयों को उस प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा जिसने उन सदस्यों को मनोनीत किया था जिनका स्थान रिक्त हुआ है।
आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत व्यक्ति कार्यकाल की ऐसी शेष अवधि के लिए परिषद का सदस्य होगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान को वह भरेगा, सदस्य रहता।

10. विचारार्थ विषय

राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद को तकनीकी विशेषज्ञता एवं दक्षता निर्मित करने और ईसीसीई के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसे विषयों पर जिन्हें संगत समझा जा सकता है, विषयपरक/तकनीकी समितियां गठित/सृजित करने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी समिति शासी (सामान्य) परिषद के निर्णयों को निष्पादित एवं कार्यान्वित करेगी। यह परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए अधिकृत होगी। यह परिषद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद के निदेशों/निर्णयों के अनुसार विषयपरक उप समितियां गठित कर सकती है।

राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों की समितियां स्थापित की जाएंगी तथा आबंटित कार्य संपन्न करेंगी एवं राज्य में परिषद के कार्यों के कार्यान्वयन एवं समग्र नीति कार्यान्वयन का समग्र रूप से मानीटरन करेंगी।

राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अनुसार राज्य परिषदों की समितियां स्थापित की जाएंगी तथा जिला एवं निचले स्तर पर कार्यान्वयन का समग्र रूप से मानीटरन करेंगी।

सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद, हरियाणा